न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 804 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:-2020/01400

अनवान :-

1. भागसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16-17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गुरतेजसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16-17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मेजरसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16-17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 21/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैक भूमि प्रवितादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मोजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 62/62 की कुल 10.8790हैक मे से 5/43 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 5/43 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है एवं आपस में भाई है जिन्होने काश्त की सुविधा एवं सिचाई की सुविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा में रोही मौजा चक 17 केएनएन के खता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैक भूमि में से 10 बीधा अर्थात 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हिस्से में आई एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 62/62 की कुल 10.8790हैक से 10 बीधा अर्थात 2.5300हैक भूमि वादी के हिस्से में आई है इसी अनुसार बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है एवं सिचाई सुविधा प्राप्त कर रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज है नही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है एव आपस में भाई है जिनके मध्य भूमि काश्त के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल शपथ पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैव भूमि प्रवितादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 62/62 की कुल 10.8790हैव मे से 5/43 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 5/43 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है एवं आपस में भाई है जिन्होने काश्त की सुविधा एवं सिचाई की सुविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा में रोही मौजा चक 17 केएनएन के खता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैव भूमि में से 10 बीघा अर्थात 2.5300हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हिस्से में आई एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 62/62 की कुल 10.8790हैव से 10 बीघा अर्थात 2.5300हैव भूमि वादी के हिस्से में आई है इसी अनुसार बाहमी बटवारा मे प्राप्त भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है एवं सिचाई सुविधा प्राप्त कर रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज है नही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैव भूमि प्रवितादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मोजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 62/62 की कुल 10.8790हैव मे से 5/43 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 5/43 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है

वादी का कथन है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है आपस में भाई है दोनो ही खातेदार काश्तकार है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वादी के कथनों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है। कोई भी खातेदार काश्तकार जो एक ही परिवार के सदस्य हो काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 62/62 की कुल 10.8790हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर 2.5300हैक भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है एवं रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैक भूमि जो वादी के नाम दर्ज है मे से 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब दर्ज की जाती है शेष भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भागसिह पुत्र बूटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गुरतेजसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मेजरसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 804 सन 2020 निर्णय दिनांक– 21/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 62/62 की कुल 10.8790हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर 2.5300हैक भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है एवं रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैक भूमि जो वादी के नाम दर्ज है मे से 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब दर्ज की जाती है शेष भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner